

- | | |
|--|---|
| 1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता | नगर आयुक्त नगर निगम, सहरसा |
| 2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि – | दिनांक-19/06/2026 |
| 3. प्री बीड मीटिंग की तिथि एवं समय एवं स्थान | दिनांक- 21/06/2026 को समय 3.00 बजे-अपराह्न
कार्यालय नगर निगम, सहरसा |
| 4. परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय | दिनांक- 20/06/2026 से 26/06/2026 समय 3.00
(www.eproc2.bihar.gov.in) |
| 5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि – | दिनांक-26/06/2026 को समय 3.00 बजे तक
(www.eproc2.bihar.gov.in) |
| 6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि | दिनांक-26/05/2026 को समय 3.30 बजे |
| 7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि | तकनीकी बीड में सफल होने के उपरान्त निर्देशानुसार |
| 8. कार्य की विवरणी- | |

जायेगी। यह उन्हें वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने/ई-टेंडर में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।

14. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

15. **(i) परिमाण विपत्र**

उपर्युक्त निविदा में परिमाण विपत्र का मूल्य E-Payment mode (i.e Credit/Debit Card and Net Banking) के माध्यम से भुगतये हो, जमा किया जाना चाहिए।

(ii) अग्रधन की राशि

(क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी, जो न्यूनतम 100 के गुणक में होगी।

(ख) अग्रधन की राशि E-Payment mode (i.e. Credit/Debit card and Net Banking) के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

16. (A) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा। (क) वैद्य निबंधन प्रमाण-पत्र की प्रति।

(ख) साझेदार फर्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।

(ग) पैन कार्ड की प्रति एवं विगत 3 वर्ष का I.T.R एवं Turnover

(घ) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र एवं अद्यतन जमा प्रमाण पत्र की प्रति।

(ङ) अग्रधन राशि की प्रति

(च) चरित्र प्रमाण पत्र (एकरारनामा के समय भी दिया जा सकता है/गृह विभाग, बिहार की अद्यतन अधिसूचना के अनुरूप)

(B) संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment (On Going) कार्यों की राशि सहित सूची अपलोड करना है।

(C) घोषणा प्रमाण-पत्र (मूल में) / (शपथ-पत्र मूल में) (निविदा अभिलेख के साथ अपलोड करना एवं एकरारनामा के समय मूल में समर्पित करना)

"मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम).....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री.....

..... शपथ पूर्वक घोषण करता/ करती हूँ कि :-

(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकार/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल नगर निकाय के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल कर्म के रूप में कार्यरत नहीं हूँ

उपर्युक्त कंडिका "क" "ख" "ग" एवं घ में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा, कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके उपर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा। चूँकि संवेदकों को निबंधन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है, फलस्वरूप संवेदकों को बिहार P.W.D. Code के बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के सुसंगत कंडिकाओं के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की जायेगी। यदि यह शर्तें संवेदक को मान्य हो, तभी वो निविदा डाले।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है।

- (D) संवेदक के पास संबंधित कार्य के अनुरूप यंत्र-संयंत्र का भी होना आवश्यक है, जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेने देने का मूल शपथ पत्र (अपलोडेड) एवं प्रमाण के रूप में उपकरण का स्वामित्व का कागजात एवं यंत्र-संयंत्र स्वसत्यापित सूची भी अपलोड करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।

(E) बिटुमिनश पथ के कार्यों में प्रयुक्त होनेवाले 60/70, 30/40, 80/100 Grade Packed बिटुमिन अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी। जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमिन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से ही करना होगा तथा बिटुमिन क्रय के 48 घंटों के अंदर कैंश मेमो संबंधित सहायक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा। साथ ही 24 घंटों के अन्दर बिटुमिन की क्वालिटी का जांच कराना होगा।

BM, SDBC कार्य के लिए Hot Mix Plant, Vibratory Roller, Static Paver Finisher, Bitumin sprayer, air Compressor, Tipper and lab equipments आवश्यक है। जो स्वयं अथवा किराये पर हो सकता है, परन्तु तत्संबंधी प्रमाणक एवं आवश्यक शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा।

(F) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website (www.eproc2.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा, जो स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए। संवेदक Scan कर कागजातों पर अपलोड करने के पूर्व सूचिबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके।

(G) प्रतिशत दर निविदा

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित

किया जाय। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अंतर आने पर उस संवेदक का निविदा अमान्य कर दिया जा सकता है।

(ख) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य

प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(ग) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य

प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय। (घ)

परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य

प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय। (ङ)

परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य

प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय। 17.

सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/ किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/ अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

18. निविदा निष्पादन:

(1) यदि निविदा की कंडिका संख्या-16 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

(2) सफल न्यूनतम दर दाता निविदाकार की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

(3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर एक समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ यदि आवश्यकता हो तो (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

(4) i. प्रथम बार Single Tender प्राप्त होने पर पुनः निविदा की जाएगी।

ii. पुनः निविदा में Single tender एवं परिमाण विपत्र की राशि से 10% से अधिक दर वाली निविदा पर निर्णय

सक्षम प्राधिकार से एक स्तर उपर के पदाधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

19 एकरारनामा :

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका-23 बिलोपित) F2 पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा। अन्यथा विधिसमत् कार्यवाई की जायेगी।

(ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट्ट उसकी आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जानेवाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।

20 अन्य शर्तें :

(क) निविदा के निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(ख) प्राकृतिक राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है

21. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार (Defect Liability Period) की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 24 माह (दो वर्ष) होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही जमानत की राशि एवं अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) विमुक्त की जायेगी।

22. E-Tendering में कार्यालय द्वारा Download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।

23. 25.00 लाख से अधिक की राशि का परिमाण विपत्र होने पर निविदादाताओं को दो बीड यथा एक वित्तीय बीड एक तकनीकी बीड निविदा के साथ Upload करना होगा। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा। तकनीकी बीड में जो निविदाकार असफल होंगे उनका वित्तीय बीड नहीं खोला जायेगा।

24. 25.00 लाख से अधिक के निविदा में संवेदक द्वारा विगत पाँच वर्षों में किसी एक वर्ष में निविदा मूल्य के 50% की राशि का भुगतान प्रमाण-पत्र होना चाहिए अथवा विगत पाँच वर्षों में किसी एक वर्ष में निविदा मूल्य के एक 25% मूल्य के बराबर समरूप कार्य का भुगतान प्रमाण-पत्र देना होगा जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। जिसमें IT, GST, Royalty, Net Payment, Gross Payment दर्शाया गया हो। निविदा का मूल्यांकन संवेदक सभी अनुमान्य कटौतियों के पश्चात् शुद्ध भुगतान (Net Pay) के आधार पर किया जायेगा।

25. 50.00 लाख से अधिक मूल्य के निविदा में संवेदक को गुण नियंत्रण जाँच हेतु स्थलीय गुण नियंत्रण उपकरणों का स्वामित्व होना चाहिए अथवा किराये पर प्राप्त करने की स्थिति में किराये पर देने वाले एवं लेने वाले का मूल में शपथ पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही गुण नियंत्रण/यंत्र-सयंत्र का स्वामित्व संबंधी कागजातों को भी संलग्न करना होगा।
26. 50.00 लाख के अधिक के मूल्य के निविदा में संवेदक के पास कम से कम एक डिप्लोमा (सिविल) एवं एक डिग्री (सिविल) अभियंता होना चाहिए। तत्सम्बन्धी उनका शपथ पत्र एवं प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए। शपथ-पत्र मूल में नियोजित एवं नियोजनकर्ता दोनों पक्षों का होना चाहिए। एक डिग्री/डिप्लोमा अभियंता एक ही निविदाकार के यहाँ नियोजित माना जायेगा। यदि एक ही डिग्री/डिप्लोमा अभियंता भिन्न-भिन्न निविदाकारों के यहाँ नियोजन के शपथ-पत्र देंगे तो उनकी निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।
27. तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करें जितना निविदा शर्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं की पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय यथा:- नगर आयुक्त/कार्यपालक अभियंता/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/नगर विकास प्रमंडल/नगर परिषद्/ नगर पंचायत से संपर्क कर सकते हैं।
28. In the unlikely event of the server of www.eproc2.bihar.gov.in being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving times stipulated in the original NIT.
29. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission and they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/ visibility of the scanned & uploaded file by them.
30. The bidders must use eproc-2 Compatible MS Office version of required size and should be in M.S. Word, M.S. Excel, PDF and JPEG Formats.
31. No claim shall be entertained on account of description of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.
32. In exceptional circumstances, the competent authority, UD & HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.
33. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.
34. The Bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-Procurement website (www.eproc2.bihar.gov.in) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., in support of their eligibility criteria/ technical bids and other certificates/ documents in the e-Procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness/ authenticity.
35. As per RCD letter no-7482 (S) Dated-28.12.2023 if any Bidder withdraws its bid during bid validity period, The EMD will be forfeited and accordingly action can be taken as per clause of 11 (d) (II) and (x) of Bihar contractor registration rules 2007.
36. Bids from joint ventures are not allowed for this work as per RCD Bihar, Patna letter no-8131 (s), Dated-24.07.2012
37. Corrigendum/ addendum, if any, will be published on the eproc 2.0 only.
38. Bid evaluation will be done on the basis of uploaded document on e-proc 2.0 only.

नगर आयुक्त
नगर निगम सहरसा